झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8/ज॰ सं॰(नि॰) सु॰परि॰–7–08/2014– राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री बिजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता सम्प्रति सेवा निवृत ने जबकि वे सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2 चाण्डिल के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री बिजेन्द्र प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी॰ के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री बिजेन्द्र प्रसाद सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री राम निवास प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए श्री विनय कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2 चाण्डिल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:–

श्री राम निवास प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह

श्री विनय कुमार वर्णवाल कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰–2, चाण्डिल।

श्री विजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2, चाण्डिल (सम्प्रति सेवा निवृत) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–   राँची,   दिनांक –

प्रतिलिपि–अनुबंध की प्रति के साथ श्री राम निवास प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह /श्री विनय कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2, चाण्डिल/श्री विजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मोहल्ला– सोनुआडंगम, पो॰– शिवपहार, जिला– दुमका, संथालपरगना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2–जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु॰–यथोक्त।   ह0/–

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4774 / राँची, दिनांक – 7-9-15

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/ कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा बॉध प्रमण्डल सं॰– 2, चाण्डिल को सूचनार्थ/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/08/2018

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।